



1
{FA(MAT)No.303/2023}

2025:CGHC:55072-DB

2025:CGHC:55072-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
प्रथम अपील (वैवाहिक) क्रमांक 303/2023

श्रीमती मैगलिंग्स जॉन, पति थॉमस जॉन, आयु लगभग 59 वर्ष, निवासी: मकान नंबर 39, जब्बल गली, नेहरू नगर, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

(अनावेदक)

...अपीलार्थी

विरुद्ध

श्री थॉमस जॉन, पिता श्री रामभाऊ, आयु लगभग 61 वर्ष, वर्तमान पता: सिंचाई विभाग कार्यालय, रेलवे स्टेशन रोड, तहसील व जिला रायगढ़; स्थायी पता: मकान नंबर 39, जब्बल गली, नेहरू नगर, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

(आवेदक)

...प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से : श्री रवींद्र शर्मा, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री सौरभ साहू, अधिवक्ता।

युगलपीठ:-

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल एवं

माननीय श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायमूर्तिगण

बोर्ड पर निर्णय

(12/11/2025)

संजय के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति

1. अपीलार्थी ने यह अपील द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 502-ए/2019 में दिनांक 27-10-2023 को पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति से व्यथित और असंतुष्ट होकर, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अधीन प्रस्तुत की है। जिसके माध्यम से, प्रत्यर्थी द्वारा विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10(ix) एवं (x) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है।



2. अपीलार्थी/पत्नी द्वारा प्रस्तुत इस अपील के न्यायनिर्णयन हेतु निम्नलिखित तथ्य आवश्यक हैं:-
3. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के मध्य विवाह दिनांक 15-5-1986 को विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था और उनके विवाह से उन्हें दो पुत्रियाँ – मार्टिना और मोनिका, तथा एक पुत्र-रिचर्ड हुए। हालाँकि, मार्टिना ने दिनांक 24-11-2011 को प्रत्यर्थी की इच्छा के विरुद्ध ई. विजय कुमार नामक व्यक्ति से विवाह कर लिया, जिसके कारण उनके मध्य वैवाहिक अनबन पैदा हो गई। इसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज कराई, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा झूठा बताया गया है। फलस्वरूप, अपीलार्थी/पत्नी अपनी पुत्री मार्टिना और दामाद ई. विजय कुमार के साथ रहने लगी।
4. प्रत्यर्थी/पति का यह पक्ष है कि दिनांक 16-9-2016 को अपीलार्थी/पत्नी ने उसे घर छोड़ने के लिए विवश किया और दोनों एक ही घर में अलग-अलग रहने लगे, लेकिन अलग-अलग मंजिलों पर; जहाँ पति भूलतल पर रहने लगा और पत्नी अपनी पुत्री मार्टिना, दामाद ई. विजय कुमार और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ प्रथम तल पर रहने लगी। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी/पत्नी द्वारा भरण-पोषण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दिनांक 23-12-2017 को स्वीकार कर लिया गया था। तदोपरांत, दिनांक 2-8-2019 को, प्रत्यर्थी/पति ने विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10(ix) और (x) के अधीन विवाह-विच्छेद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जो कि धारा 10(ix) के अधीन अभित्यजन के आधार पर और धारा 10(x) के अधीन क्रूरता के आधार पर था।
5. प्रत्यर्थी/पति का आगे यह भी पक्ष है कि वह और उसकी पत्नी दोनों दिनांक 16-9-2016 से अलग-अलग रह रहे हैं और तब से वे पति-पत्नी के रूप में नहीं रह रहे थे; और इस प्रकार, यह सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने के आशय से किया गया परित्याग है। इसलिए, वह अभित्यजन के आधार पर विवाह-विच्छेद की आज्ञा प्राप्त करने का हकदार है। इसके अतिरिक्त, क्रूरता के आधार के संबंध में, चूंकि पिछले दो से अधिक वर्षों से वे पति-पत्नी के रूप में नहीं रहे हैं और पत्नी ने पुलिस थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इस प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में, उसे क्रूरता और अभित्यजन दोनों के आधार पर विवाह-विच्छेद का हकदार है।
6. अपीलार्थी/पत्नी ने कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने विवाह-विच्छेद के आवेदन में किए गए अभिवचनों की सत्यता पर विवाद किया और इस बात से इनकार व खंडन किया कि इसके लिए वह जिम्मेदार है। उसने तर्क दिया कि इस प्रकार के आचरण के लिए पति स्वयं जिम्मेदार है और इसलिए, प्रत्यर्थी/पति उपरोक्त आधारों पर विवाह-विच्छेद की आज्ञा प्राप्त



करने का हकदार नहीं है। उसने आगे कथन किया कि चूँकि उसकी पुत्री मार्टिना ने प्रेम विवाह किया था, इसलिए प्रत्यर्थी/पति उसे और उसकी पुत्री को अपराधी कहने लगा था और वह उनके साथ मारपीट किया करता था; और वास्तव में प्रत्यर्थी ही है जो अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को स्वेच्छा से छोड़कर अलग रह रहा है।

7. कुटुम्ब न्यायालय ने चार वाद-प्रश्न विरचित किए और उन सभी का उत्तर सकारात्मक रूप में निम्नानुसार दिया: -

क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या अनावेदिका ने आवेदक के साथ शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित किया है?	"प्रमाणित"
02.	क्या अनावेदिका ने बिना किसी पर्याप्त कारण के आवेदक का परित्याग कर दिया है?	"प्रमाणित"
03.	क्या आवेदक अनावेदिका के विरुद्ध विवाह-विच्छेद की आज्ञासि प्राप्त करने का अधिकारी है?	"प्रमाणित"
04.	सहायता एवं व्यय?	"याचिका स्वीकृत"

8. अपीलार्थी/पत्नी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवींद्र शर्मा ने यह तर्क दिया कि कुटुम्ब न्यायालय द्वारा अभित्यजन और क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद की आज्ञासि प्रदान करना पूर्णतः अन्यायोचित है। चूँकि प्रत्यर्थी/पति द्वारा दोनों ही आधारों को साबित नहीं किया गया है और केवल विपरीत निष्कर्ष अभिलिखित कर विवाह-विच्छेद की आज्ञासि प्रदान की गई है, जो कि अपील को स्वीकार कर अपास्त किए जाने योग्य है।

9. प्रत्यर्थी/पति की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ साहू ने आक्षेपित निर्णय और आज्ञासि का समर्थन किया और अपील का विरोध किया। उन्होंने तर्क किया कि कुटुम्ब न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में अभित्यजन और क्रूरता दोनों आधारों पर विवाह-विच्छेद की आज्ञासि पारित करना पूर्णतः न्यायोचित है, क्योंकि ये आधार पूरी तरह साबित हो चुके हैं और इस प्रकार, कुटुम्ब न्यायालय ने उचित रूप से आज्ञासि प्रदान की है।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना, उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया और अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।



11. आज्ञासि दो आधारों पर प्रदान की गई है, अर्थात् विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10(ix) के अधीन अभित्यजन और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10(x) के अधीन क्रूरता। हम इन निष्कर्षों की सत्यता को परखने के लिए, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा अभित्यजन और क्रूरता के संबंध में दिए गए दोनों निष्कर्षों पर एक-एक कर विचार करेंगे।

अभित्यजन

12. 'अभित्यजन' शब्द को विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 3(9) के अधीन परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है: -

(9) "अभित्यजन" में उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध परित्याग अन्तर्हित है जिसके द्वारा उसका आरोप लगाया जाता है; और

13. इसी प्रकार, विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10(ix), विवाह-विच्छेद के आधारों में से एक के रूप में अभित्यजन को परिभाषित करती है, जो निम्नानुसार है:-

"10. विवाह के विघटन के लिए आधार-(1) कोई विवाह, चाहे भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो या उसके पश्चात्, पति अथवा पत्नी द्वारा जिला न्यायालय को प्रस्तुत अर्जी पर, इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा कि विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात् -

(i) से (viii) xxx xxx xxx

(ix) प्रत्यर्थी ने, अर्जी प्रस्तुत करने के ठीक पहले कम-से-कम दो वर्ष के लिए अर्जीदार को अधित्यक्त रखा है; या"

14. विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 3 की उप-धारा (9) "अभित्यजन" शब्द को इस प्रकार परिभाषित करती है: "अभित्यजन" में उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध परित्याग अन्तर्हित है जिसके द्वारा उसका आरोप लगाया जाता है। विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 3 की उप-धारा (9) पर बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा वीरबाला सुमंत लोखंडे विरुद्ध सुमंत माधव लोखंडे¹ के प्रकरण में विचार किया गया था, जिसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

"8. भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम की धारा 3, खंड (9) में, शब्द 'अभित्यजन' को परिभाषित किया गया है। "अभित्यजन" में उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध परित्याग अन्तर्हित है जिसके द्वारा उसका आरोप लगाया जाता है। 'अभित्यजन' की परिभाषा अपने आप में अभित्यजन के कृत्य के सभी निहितार्थों पर विचार करते समय बहुत अधिक सहायता प्रदान नहीं करती है। इस शब्द की व्याख्या



न्यायालयों द्वारा न्यायिक रूप से की गई है। अभित्यजन इस अर्थ में वास्तविक अभित्यजन हो सकता है कि पति ने अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया है और वह उसे वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे प्रकरण भी हो सकते हैं जहाँ एक जीवनसाथी द्वारा दूसरे का वास्तविक अभित्यजन न हुआ हो। इसे रचनात्मक अभित्यजन के प्रकरण के रूप में नामित किया जा सकता है। ऐसा अभित्यजन भी अधिनियम की धारा 3(9) के अर्थ के भीतर, आरोप लगाने वाले व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध परित्याग की श्रेणी में आएगा।”

15. इसी प्रकार, यद्यपि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i ख) और 10 के संदर्भ में, "अभित्यजन" शब्द पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अध्यात्म भट्टर अलवर विरुद्ध अध्यात्म भट्टर श्री देवी² के प्रकरण में विचार किया गया है। "अभित्यजन" को स्थापित करने के लिए, माननीय न्यायाधिपतिगण ने अनुतोष का आधार प्रदान करने हेतु दो आवश्यक घटक निर्धारित किए हैं, अर्थात्: (1) अलगाव का तथ्य, और (2) सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का आशय (अभित्यजन का आशय)। माननीय न्यायाधिपतिगण ने रिपोर्ट के कण्डिका 6 में निम्नानुसार अवधारित किया है:-

“6. वैवाहिक विधि के संदर्भ में 'अभित्यजन' एक विधिक अवधारणा को दर्शाता है। इस शब्द की एक व्यापक परिभाषा देना कठिन है। इस अपराध के आवश्यक घटक, ताकि यह अनुतोष का आधार बन सके, निम्नलिखित हैं:

1. अलगाव का तथ्य

2. सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का आशय—अभित्यजन का आशय;

3. स्थायित्व का तत्व, जो कि एक प्रमुख शर्त है, इसके लिए आवश्यक है कि ये दोनों अनिवार्य घटक पूरी वैधानिक अवधि के दौरान निरंतर बने रहें;

यह खंड यह नियम निर्धारित करता है कि अभित्यजन को वैवाहिक अपराध की कोर्ट में आने के लिए, याचिका प्रस्तुत करने से ठीक पहले कम से कम दो वर्ष की निरंतर अवधि का होना अनिवार्य है। इस खंड को स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाना चाहिए। स्पष्टीकरण ने अभित्यजन की परिभाषा को और व्यापक बना दिया है ताकि इसमें प्रत्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता जीवनसाथी की 'स्वेच्छा से की गई उपेक्षा' को भी शामिल किया जा सके। इसमें कहा गया है कि वैवाहिक अपराध की कोर्ट में आने के लिए अभित्यजन बिना किसी युक्तियुक्त कारण के और याचिकाकर्ता की सम्मति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए।



स्पष्टीकरण से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि विधायिका का आशय इस अभिव्यक्ति को एक व्यापक अर्थ देना था, जिसमें विवाह के दूसरे पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता की स्वेच्छा से की गई उपेक्षा शामिल है। इसलिए, अभित्यजन के अपराध के लिए, जहाँ तक परित्याग करने वाले जीवनसाथी का संबंध है, दो अनिवार्य शर्तें होनी चाहिए, अर्थात् (1) अलगाव का तथ्य, और (2) सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का आशय (अभित्यजन का आशय)। इसी प्रकार, जहाँ तक परित्यक्त जीवनसाथी का संबंध है, दो तत्व अनिवार्य हैं: (1) सम्मति का अभाव, और (2) ऐसे आचरण का अभाव जो घर छोड़ने वाले जीवनसाथी को उपरोक्त आवश्यक आशय बनाने के लिए युक्तियुक्त कारण देता हो। विवाह-विच्छेद के याचिकाकर्ता पर इन तत्वों को दोनों जीवनसाथियों के संदर्भ में क्रमशः साबित करने और पूरी वैधानिक अवधि के दौरान उनकी निरंतरता को साबित करने का भार होता है।”

16. इसी प्रकार, रोई (बारी) स्त्री विरुद्ध रासिंगा नायक व एक अन्य³ के प्रकरण में, सिकर्ट विरुद्ध सिकर्ट⁴ के प्रकरण में न्यायमूर्ति गोरेल बार्न्स की टिप्पणियों का अवलंब लेते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभित्यजन के गठन के लिए सहवास का अंत और आरोपी पक्ष की ओर से दूसरे को छोड़ने का आशय होना अनिवार्य है, और निम्नानुसार अवधारित किया गया है:—

“अभित्यजन गठित करने के लिए सहवास की समाप्ति और आरोपी पक्ष की ओर से दूसरे को छोड़ने का आशय होना अनिवार्य है। अभित्यजन के अधिकांश प्रकरणों में दोषी पक्ष वास्तव में दूसरे को छोड़कर चला जाता है, लेकिन यह हमेशा या आवश्यक रूप से दोषी पक्ष ही नहीं होता जो वैवाहिक घर छोड़ता है। मेरी राय में, वह पक्ष जो सहवास को समाप्त करने का आशय रखता है, और जिसका आचरण वास्तव में इसकी समाप्ति का कारण बनता है, वही अभित्यजन का कृत्य करता है। उस पति के प्रकरण में, जो सहवास की स्थिति को समाप्त करने का आशय रखता है और अपनी पत्नी को छोड़कर ऐसा करता है, और उस पति के प्रकरण में, जो समान आशय के साथ अपनी पत्नी को खुद से अलग होने के लिए विवश करता है, के बीच कोई तात्त्विक अंतर नहीं है।”

17. माननीय उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधिक सिद्धांतों के आलोक में प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने पर, यह सुस्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/पत्नी ने अपने प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 13 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह और उसके पति दोनों 2016 से

3 AIR 1935 Mad 541

4 (1899) P. 278, 282



अलग रह रहे हैं। प्रत्यर्थी के अनुसार, वे दिनांक 16-9-2016 से अलग रह रहे हैं और पत्नी द्वारा वैवाहिक संबंधों के स्थापन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी/पति ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में कहा है कि दिनांक 16-9-2016 को अपीलार्थी ने उसे अलग रहने के लिए विवश किया था और स्वीकार्य रूप से, वे दिनांक 16-9-2016 से अलग रह रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से भी अलग रह रहे हैं। प्रत्यर्थी/पति द्वारा विवाह-विच्छेद का आवेदन दिनांक 2-8-2019 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार, यह स्थापित होता है कि अपीलार्थी/पत्नी ने विवाह-विच्छेद के आवेदन की प्रस्तुति की तारीख से ठीक पहले कम से कम दो वर्षों तक प्रत्यर्थी/पति को अधित्यक्त रखा है। उस स्थिति में, अभित्यजन का तथ्य — शारीरिक अलगाव, और अभित्यजन का आशय— सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का आशय, स्थापित होता है। विशेष रूप से, प्रदर्श पी-6-सी — अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर द्वारा एम.जे.सी. क्रमांक 156/2016 में दिनांक 23-12-2017 को पारित आदेश, जो कि कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष एक कार्यवाही है, के माध्यम से अपीलार्थी/पत्नी ने पहले ही स्वीकार किया था कि उसने अपने पति के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी; हालाँकि, अभिलेख में कहीं भी यह स्थापित नहीं हुआ है और न ही अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि वह शिकायत प्रत्यर्थी/पति के विरुद्ध साबित हुई हो। इस प्रकार, कुटुम्ब न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्यों पर विचार करते हुए कि अपीलार्थी/पत्नी ने विवाह-विच्छेद के आवेदन की प्रस्तुति से ठीक पहले कम से कम दो वर्षों तक प्रत्यर्थी/पति को अधित्यक्त रखा है विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10(ix) के अधीन उचित रूप से आज्ञा प्रदान की है।

क्रूरता

18. विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10(x), विवाह-विच्छेद के आधारों में से एक के रूप में 'क्रूरता' के आधार को निर्धारित करती है, जो निम्नानुसार है: -

“(x) प्रत्यर्थी ने, अर्जीदार के साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार किया है जिससे अर्जीदार के मन में युक्तियुक्त भय कारित हुआ है कि अर्जीदार का प्रत्यर्थी के साथ रहना हानिप्रद या क्षतिकर होगा।”

19. विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 में "क्रूरता" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, इस संबंध में, उच्चतम न्यायालय का निर्णय, यद्यपि यह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i) के संदर्भ में है समर घोष विरुद्ध जया घोष⁵ के प्रकरण में, यहाँ लाभप्रद रूप से देखा जा सकता है, जिसमें माननीय न्यायाधिपतिगण ने अपनी रिपोर्ट के कण्डिका 101 में "क्रूरता" को परिभाषित करने वाले व्यापक मानक प्रतिपादित किए हैं, जो निम्नानुसार हैं: -

5 (2007) 4 SCC 511



“101. मार्गदर्शन के लिए कोई एक समान मानक कभी भी प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है, फिर भी हम मानवीय व्यवहार के कुछ ऐसे उदाहरणों को सूचीबद्ध करना उचित समझते हैं जो "मानसिक क्रूरता" के प्रकरणों के निराकरण में सुसंगत हो सकते हैं। आगामी कण्डिकाओं में दर्शाए गए उदाहरण केवल दृष्टांत स्वरूप हैं और संपूर्ण नहीं हैं:

(i) पक्षकारों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन पर विचार करने पर, अत्यधिक मानसिक पीड़ा, व्यथा और कष्ट जो पक्षकारों के लिए एक-दूसरे के साथ रहना असंभव बना दे, मानसिक क्रूरता के व्यापक मानकों के भीतर आ सकते हैं।

(ii) पक्षकारों के पूरे वैवाहिक जीवन के व्यापक मूल्यांकन पर, यदि यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति ऐसी है कि पीड़ित पक्ष से उचित रूप से ऐसे आचरण को सहने और दूसरे पक्ष के साथ रहना जारी रखने के लिए नहीं कहा जा सकता।

(iii) केवल रूखापन या स्नेह की कमी क्रूरता की श्रेणी में नहीं आ सकता, किंतु भाषा की बार-बार की अशिष्टता, व्यवहार में चिड़चिड़ापन, उदासीनता और उपेक्षा उस स्तर तक पहुँच जाए जो दूसरे जीवनसाथी के लिए वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से असहनीय बना दे।

(iv) मानसिक क्रूरता मन की एक अवस्था है। दूसरे के आचरण के कारण लंबे समय तक एक जीवनसाथी में उत्पन्न गहन पीड़ा, निराशा, कुंठा की भावना मानसिक क्रूरता का कारण बन सकती है।

(v) अपमानजनक और अपमानजनक व्यवहार का एक निरंतर क्रम जिसका उद्देश्य जीवनसाथी को तंग करना, असुविधा पहुँचाना या जीवन को दुखी बनाना हो।

(vi) एक जीवनसाथी का निरंतर अनुचित आचरण और व्यवहार जो वास्तव में दूसरे जीवनसाथी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता हो। जिस व्यवहार की शिकायत की गई है और उससे उत्पन्न होने वाला खतरा या आशंका अत्यंत गंभीर, पर्याप्त और भारी होनी चाहिए।

(vii) निरंतर निंदनीय आचरण, स्वेच्छा से की गई उपेक्षा, उदासीनता या वैवाहिक सौहार्द के सामान्य मानक से पूर्ण विचलन, जो मानसिक स्वास्थ्य को चोट पहुँचाता हो या परपीड़क आनंद प्राप्त करता हो, वह भी मानसिक क्रूरता की कोटि में आ सकता है।



(viii) आचरण ईर्ष्या, स्वार्थ, अधिकार की भावना से बहुत अधिक होना चाहिए; केवल वह आचरण जो नाखुशी, असंतोष और भावनात्मक परेशानी पैदा करता है, मानसिक क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद की अनुमति प्रदान करने का आधार नहीं हो सकता है।

(ix) मात्र तुच्छ चिड़चिड़ाहट, झगड़े, वैवाहिक जीवन की सामान्य खींचतान जो दैनिक जीवन में होती है, मानसिक क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

(x) वैवाहिक जीवन की समग्र रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और वर्षों की अवधि में कुछ छिटपुट घटनाएं क्रूरता की कोटि में नहीं आएंगी। बुरा आचरण काफी लंबी अवधि तक निरंतर होना चाहिए, जहाँ संबंध इस हद तक बिगड़ गए हों कि एक जीवनसाथी के कृत्यों और व्यवहार के कारण, पीड़ित पक्ष को दूसरे पक्ष के साथ रहना अत्यंत कठिन लगे, तो यह मानसिक क्रूरता की कोटि में आ सकती है।

(xi) यदि पति बिना किसी चिकित्सीय कारण के और अपनी पत्नी की सम्मति या जानकारी के बिना नसबंदी करवा लेता है और इसी तरह, यदि पत्नी बिना चिकित्सीय कारण या अपने पति की सम्मति या जानकारी के बिना गर्भपात करवा लेती है, तो जीवनसाथी का ऐसा कृत्य मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है।

(xii) बिना किसी शारीरिक अक्षमता या वैध कारण के काफी लंबी अवधि तक संभोग करने से इनकार करने का एकतरफा निर्णय मानसिक क्रूरता की कोटि में आ सकता है।

(xiii) विवाह के बाद पति या पत्नी में से किसी का भी संतान न लेने का एकतरफा निर्णय क्रूरता की कोटि में आ सकता है।

(xiv) जहाँ निरंतर अलगाव की एक लंबी अवधि रही हो, वहाँ यह उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैवाहिक संबंध पूर्णतः अपूरणीय हो चुका है। विवाह एक विधिक बंधन द्वारा समर्थित होने के बावजूद एक कल्पना बन जाता है। उस बंधन को तोड़ने से इनकार करके, विधि ऐसे प्रकरणों में विवाह की पवित्रता की रक्षा नहीं करता है; इसके विपरीत, यह पक्षकारों के भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति बहुत कम सम्मान प्रदर्शित करता है। ऐसी स्थितियों में, यह मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है।”



20. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांतों, विशेष रूप से कण्डिका 101(ii), (iv) और (xii) के आलोक में प्रकरण के तथ्यों पर पुनः विचार करने पर, यह प्रतीत होता है कि पति के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराना विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10(x) के प्रावधानों को आकृष्ट करेगा। विशेष रूप से, जैसा कि पूर्ण कण्डिका में अभिनिर्धारित किया गया है, यह अपीलार्थी/पत्नी ही है जिसने प्रत्यर्थी/पति को अभित्यक्त कर रखा है और काफी लंबी अवधि के लिए उनके दाम्पत्य संबंधों को समाप्त कर दिया है, जो क्रूरता की कोटि में आता है; क्योंकि अपीलार्थी अपनी पुत्री और दामाद से प्रभावित थी और दिनांक 16-9-2016 से दाम्पत्य संबंधों को त्यागकर अलग रह रही थी, और कम से कम दिनांक 16-9-2016 से आज तक, पक्षकारों के मध्य दाम्पत्य अलगाव बना हुआ है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वैवाहिक संबंध अब पूर्णतः अपूरणीय हो चुका है और पति के विरुद्ध झूठी शिकायत दर्ज करना अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है, जिसे अपीलार्थी/पत्नी ने भी स्वीकार किया है। उसने स्वीकार किया कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के मध्य मुख्य विवाद दामाद ई. विजय कुमार का उनके घर में स्थायी रूप से रहना है, जिसे प्रत्यर्थी/पति पसंद नहीं करता था, इसके बावजूद, अपीलार्थी/पत्नी अपनी पुत्री और दामाद के साथ रह रही है। इस स्थिति में, क्रूरता के आधार पर प्रदान की गई विवाह-विच्छेद की आज्ञा भी स्थापित होती है।

21. उपरोक्त विश्लेषण के फलस्वरूप, हमारा सुविचारित अभिमत यह है कि कुटुम्ब न्यायालय अभित्यजन और क्रूरता दोनों आधारों पर विवाह-विच्छेद की आज्ञा प्रदान करने में पूर्णतः न्यायोचित है। हमें इस अपील में कोई सार प्रतीत नहीं होता है, अतः यह खारिज किए जाने योग्य है एवं एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पक्षकारगण अपना-अपना वाद-व्यय स्वयं वहन करेंगे।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

